प्रोसेस सर्वर के रिक्त पदों की भर्ती के लिए

रोजगार सूचना

रोजगार सूचना जिला एवं सत्र न्यायालय, अम्बाला में प्रोसेस सर्वर के तीन रिक्त पदों (अस्थाई) (सामान्य वर्ग) वेतनमान रूपये 4440-7440+1650 जी पी (डी एल) हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

शैक्षणिक योग्यता : इन पदों के लिए योग्य उम्मीदवार जिसने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा हिंदी या पंजाबी भाषा की जानकारी रखता हो।

आयु सीमा : हरियाणा सरकार द्वारा जारी नवीनतम निर्देशानुसार आवेदक की आयु 1.1.2023 को 18 साल से कम व अधिकतम आयु 42 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आवेदन भेजने की अंतिम तिथि : आवेदन भेजने की अंतिम तिथि 15.2.2023 सायं 05:00 बजे तक है।

साक्षात्कार का दिन व समय : उम्मीदवारों को निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार दोपहर 11:00 बजे न्यायिक परिसर, अम्बाला शहर में नीचे दिए गए तारीख के उल्लिखित उनके नाम के वर्णों के क्रम के आधार पर साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने के निर्देश दिए जाते हैं। साक्षात्कार का समय 1:30 बजे से आरम्भ होगा।

27-2-2023	A, B, C, D, E, F	2-3-2023	R, T, U, V
28-2-2023	G, H, I, J, K, L	3-3-2023	S, W, X, Y, Z
1-3-2023	M, N, O, P, Q	4-3-2023	रोजगार कार्यालय एवं जिला सैनिक बोर्ड द्वारा प्रायोजित उम्मीदवार

आवेदन भरने के लिए दिशा निर्देश

1. आवेदन पत्र एक सादे कागज पर आवेदक की नवीनतम फोटो के साथ, आवेदक का नाम, पिता/पति का नाम, जन्मतिथि, लिंग, शैक्षणिक योग्यता, वर्ग / श्रेणी, वर्तमान व स्थाई पता, अनुभव (यदि हो), जन्म तिथि प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रतियों सहित पंजीकृत डाक या दस्ती द्वारा अंतिम तिथि से पहले निम्नलिखित पते पर पहुंच जाना चाहिए।

   अधीक्षक, जिला एवं सत्र न्यायधीश कार्यालय, न्यायिक परिसर, अम्बाला शहर
2. अधूरे आवेदन पत्र व बिना फोटो या जन्म प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक योग्यता की सत्यापित प्रतियों के बिना प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र बिना आवेदक को सूचना दिए अस्वीकृत कर दिए जाएगे।
3. अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. डाक द्वारा देरी से प्राप्त होने वाले आवेदन के लिए कार्यालय की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।
5. आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन पत्र के उपर संबंधित पद का नाम लिखा होना चाहिए जिसके लिए आवेदन कर रहा है।
6. आवेदक को साक्षात्कार के समय अपने मूल दस्तावेज दिखाने होंगे।
7. साक्षात्कार के लिए कोई यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा।
8. रिक्त पदों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है।

जिला एवं सत्र न्यायधीश,

अम्बाला